


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट  
रीवा जिला रीवा म0प्र0



₹. 10

ऋषी केश द्विवेदी तनय श्री ददोली प्रसाद द्विवेदी उम्र 42 वर्ष पेषा  
कृषि निवासी ग्राम बीरखाम तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

M 5139 प्र । ७

— आवेदक

बनाम

- 1— रामखेलावन द्विवेदी तनय नामालुम उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम  
बीरखाम तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
- 2— मिथिलेश कुमारी पत्नी दिनेश द्विवेदी उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम  
बीरखाम तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 — अनावेकदगण

अधिकारी भाषण ग्रन्तीकारी  
उत्तरा ३०-३-१७

आवेदन पत्र एम0जे0सी0 क0  
एम-5506 / II / 16 मे पारित  
अदम पैरवी मे खारिजी आदेश  
दिनांक 22-03-2017 को निरस्त  
करते हुये एम0जी0सी0 को  
पुनरस्थापित किये जाने बावत  
आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3)  
म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

राजस्व मण्डल  
(सार्किट कार्ट) रीवा

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

- 1— यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष एम0जे0सी0 क0

ग्रही केश विवेद / रामलक्ष्मण विवेद

60

M. 5139 - दो/17 रीति

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों अधिभाव आदि के हस्ताक्षर
१७-५-१७.	<p>१- आवेद आमिमाषक की अनु चुम्बकीयता (जू उप।)</p> <p>२. आवेद इस यह आवेद तहिला की व्यापा ३५(३) के तहत मूल प्रकार विवाद M. ५५०६/ ८/१६ अस्स पेरकी दिनांक २२.३.१७ को पुनर्व्याप्त है आवेद पेश किया गया है आवेद आमिमाषक को सुनाया तथा प्रकार का अवलोकन किया। प्रकार विवाद M. ५५०६/ ८/१६ पुनर्व्याप्ति किया गया है</p> <p>३. इन प्रकार पुनर्व्याप्ति (किया गया) पहुँचाण (ताप्र किया गया है) तद्विवरात् प्रकार देखी ले ताप होकर सहाय है।</p>	N P AWL P